संख्या-20/2017/1406/60-2-17-2/1(38)/17

प्रेषक,

अनीता सी. मेश्राम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 मई, 2017

विषयः- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मातृ समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही है कि प्रदेश में शिशुओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं प्रदेश के चयनित 22 जनपदों में 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पुष्टाहार सहित कुल 6 प्रकार की सेवायें (अनुपूरक पुष्टाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा निर्देशन एवं संदर्भ सेवायें) प्रदान की जाती है।

2. अनुपूरक पोषाहार की नियमित उपलब्धता एवं समुचित वितरण व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर ग्राम समुदाय से जुडी हुई महिलाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय। स्थानीय स्तर पर जिन महिलाओं के बच्चे ऑगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत है वे स्वयं अपनी सक्रियता एवं सजगता के साथ पोषाहार वितरण आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, इससे स्थानीय स्तर पर अनेक समस्याओं का समाधान होगा एवं नियमित रूप से स्थानीय महिलाएं ऑगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों के स्वास्थ्य, प्री-स्कूल शिक्षा जैसे कार्यो में भागीदारी निभा सकेगी। इसी उद्देश्य से शासनादेश संख्या-2091/60-2-06, दिनांक 19 जून, 2006 द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मातृ समिति के गठन सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त शासनादेश के क्रम में ऑगनवाड़ी केन्द्र पर पूर्व में गठित मातृ समितियों की समीक्षा कर पुनर्गठित कराया जाय एवं मातृ समिति के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाये। मातृ समिति में सामान्यतः 7 से 12 सदस्य होगें और अपवाद स्वरूप इन सदस्यों की संख्या अधिकतम 15 भी हो सकती है।

3. इस समिति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधानों को ध्यान में रखा जायेगाः-

- समिति में केवल महिलाओं को ही नामित किया जायेगा।
- नामित की जाने वाली महिलाओं में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके बच्चे ऑगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत है। बच्चों की दादी/नानी को भी नामित किया जा सकता है।
- एक महिला सदस्य ऐसी अवश्य नामित की जायेगी जो ग्राम सभा की सदस्य हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- ❖ सदस्यों को नामित करते समय यह ध्यान रखा जाय कि स्वयंसिद्धा, स्वशक्ति एवं महिला सामाख्या के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत सक्रिय महिलाओं को नामित किया जाये।
- ❖ नामित किये जाने वाले सदस्यों को नामित करते समय यह ध्यान रखा जाय कि प्राथमिकता दी जाने वाली महिलाएं सामाजिक कार्यों के प्रति सजग एवं सक्रिय हों और वह गैरराजनीतिक भी हो।
- ❖ समिति में ग्राम के सभी वर्गों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व भी यथासम्भव रखा जाये।
- ❖ मातृ समिति के अध्यक्ष/सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष गॉव में ग्राम प्रधान की उपस्थिति में राजस्व अधिकारियों के सहयोग से मुख्य सेविका द्वारा किया जायेगा।

4. मातृ समिति के दायित्व

मातृ समिति के मुख्य दायित्व निम्नानुसार होगे :-

- ❖ मातृ समिति का मुख्य दायित्व यह होगा कि प्रत्येक ऑगनवाड़ी केन्द्र नियमित रूप से खुले, ऑगनवाड़ी केन्द्र पर नियमित रूप से पोषाहार का वितरण हो।
- ❖ मातृ समिति के सदस्य समय-समय पर पोषाहार के स्टॉक की चेकिंग एवं सत्यापन कार्य करने का यथासम्भव प्रयास करेगें।
- ❖ मातृ समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा पंजीकृत शिशुओं से यथासम्भव दो-तीन गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों को अपनी देख-रेख में लिये जाने का कार्य भी किया जायेगा।
- ❖ मातृ समिति के सदस्यों द्वारा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि उनके केन्द्र पर पोषाहार उपलब्ध हो रहा है और उसका वितरण शासन की मंशा के अनुरूप किया जा रहा है अथवा नहीं।
- ❖ मातृ समिति के समस्त सदस्य ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर चलाएं जा रहे अन्य कार्यक्रम जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच, प्री-स्कूल कार्यक्रम, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, हौसला पोषण योजना आदि के सम्बन्ध में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगें।
- ❖ ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा मातृ समिति की अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर माह के प्रत्येक दिन के लिये समिति के सदस्यों का एक रोस्टर तैयार कराया जाय ताकि प्रत्येक दिन एक सदस्य पोषाहार वितरण के समय केन्द्र पर अवश्य उपस्थित रहे।
- ❖ सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को मातृ समिति के सदस्य एक साथ उपस्थित होकर आपस में आंगनवाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों से सम्बन्धित विचार-विमर्श करेंगे, जिससे यह समिति अधिक सक्रिय रूप से अपना योगदान दे सके।
- ❖ समिति के सदस्यों द्वारा आपस में विचार-विमर्श करने के बाद अपने बीच से ही एक वरिष्ठ महिला को, जो उस समूह से सबसे अधिक सक्रिय हो, उसे अध्यक्ष एवं उसी क्रम में फिर एक उपाध्यक्ष का चयन करें। इस चयन के समय मुख्य सेविका उपस्थिति रहेगी।

5. मुख्य सेविका के दायित्व

मातृ समिति की सक्रियता के लिए मुख्य सेविका के दायित्व निम्न प्रकार होगेः-

(1) मुख्य सेविका द्वारा प्रत्येक दो माह में मातृ समिति की एक बैठक ऑगनवाड़ी केन्द्र पर अवश्य की जायेगी।

(2) मुख्य सेविका नियमित रूप से यह देखेगी कि रोस्टर के अनुसार प्रत्येक महिला सदस्य अपने निर्धारित दिवस को उपस्थित हो रही है अथवा नहीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) मुख्य सेविका का मुख्य दायित्व होगा कि वह विशेष प्रयास करके मातृ समिति के सदस्यों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करती रहे और उनसे प्राप्त सुझावों का क्रियान्वयन भी करायें, जिससे ग्राम में ऑगनवाड़ी केन्द्र अधिक सक्रियता के साथ संचालित हो सके।

6. 15 जून से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर राजस्व व खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से मातृ समितियों का पुनर्गठन करवाया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(अनीता सी. मेश्राम)
सचिव।

संख्या- 20/2017/1406(1)/60-2-17-2/1(38)/17, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से इस सम्बन्ध में समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को एक आदेश जारी कर दें और इस कार्य की नियमित समीक्षा अपनी मासिक बैठकों के दौरान करते रहें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।